# सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

## दिनांक –07.09.2024

**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।**

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

**प्रकरण प्रथम** – अभियुक्तगण 1- सलीम उर्फ डब्लू पुत्र मुन्ना मंसूरी निवासी चिरगांव जनपद झांसी जालौन द्वारा वादी श्री हिलाल अहमद पुत्र मु0 रशीद निवासी मो0 जयप्रकाश नगर कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन के भाई मुस्ताक अहमद की लूट कर हत्या कारित करने की घटना में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोंच में मु0अ0सं0 156/1999 धारा 394/302 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये कल दिनांक 07.09.2024 को मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त सलीम उर्फ डब्लू उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 70,000/-- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**माननीय न्यायालय द्वारा आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 25 वर्ष 05 माह) में दण्डित किया गया।**